(12)

1. Deputy Secretary (Administration), Ministry of Water Resources —Chairman
2. Deputy Secretary (E.III), Ministry of Water Resources —Member
3. Under Secretary (Administraton), Ministry of Water Resources —Member

[F. No. 9/4-A/2009-Admn.]
L. P. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 249.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सदस्य) भर्ती नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में सदस्य (वैज्ञानिक) और सदस्य (इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सदस्य) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विहित पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सदस्य (वैज्ञानिक)	4* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400—67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति :** केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के ऐसे क्षेत्रीय निदेशक (वैज्ञानिक शाखा) जिनकी पुनरीक्षित वेतनबैंड-4, 37400-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 8700 रुपये में तीन वर्ष की नियमित सेवा है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिनकी मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-4, 37400 - 67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8900 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा है; या

(iii) जिनकी मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-4, 37400- -67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा है; और .

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं :

(i) भूजल विज्ञान, भूविज्ञान, जलविज्ञान, भूभौतिकी, जलमौसमविज्ञान या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मास्टर डिग्री या सिविल/यांत्रिकी/कृषि इंजीनियरी/पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री; और

(ii) भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण, अन्वेषण विकास, भूमिगत जल क्षेत्र मॉनीटरी, अनुसंधान, प्रशिक्षण, भूमिगत जल संसाधनों के सामग्री प्रबंध और प्रबंधन में 15 वर्षों का अनुभव ।

टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 3. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड —सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सदस्य (इंजीनियरिंग)	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400—67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति :** केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के ऐसे क्षेत्रीय निदेशक (इंजीनियरिंग शाखा) जिनकी पुनरीक्षित वेतनबैंड-4, 37400-67000 रुपये + ग्रेड वेतन 8700 रुपये में तीन वर्ष की नियमित सेवा है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-4, 37400—67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8900 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा है; अथवा (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-4, 37400—67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा है; और

(11)
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं : (i) सिविल/यांत्रिकी/कृषि इंजीनियरी/पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री; और (ii) भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण, अन्वेषण विकास, भूमिगत जल क्षेत्र मॉनीटरी, अनुसंधान, प्रशिक्षण, भूमिगत जल संसाधन सामग्री प्रबंध और प्रबंधन में 15 वर्षों का अनुभव । **टिप्पणी 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिकस संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 3. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड —सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 21/02/2009--सीजीडब्ल्यूबी]
विनीत अब्राहम, अवर सचिव

New Delhi, the 8th October, 2012

G.S.R. 249.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board Member Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Member (Scientific) and Member (Engineering) in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Members) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Member (Scientific	*4 (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4, ₹ 37400—67000 + Grade Pay ₹ 10000	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits shall apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short term contract)	**Promotion :** Regional Director (Scientific stream) in the Central Ground Water Board with three years regular service in the revised pay band 4 Rs. 37400-67000 plus grade pay Rs. 8700. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

3726 GI/12-4

(11)
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं : (i) सिविल/यांत्रिकी/कृषि इंजीनियरी/पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री; और (ii) भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण, अन्वेषण विकास, भूमिगत जल क्षेत्र मॉनीटरी, अनुसंधान, प्रशिक्षण, भूमिगत जल संसाधन सामग्री प्रबंध और प्रबंधन में 15 वर्षों का अनुभव । **टिप्पणी 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिकस संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव/अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 3. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड —सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 21/02/2009--सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

New Delhi, the 8th October, 2012

G.S.R. 249.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board Member Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Member (Scientific) and Member (Engineering) in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Members) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Member (Scientific	*4 (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4, ₹ 37400—67000 + Grade Pay ₹ 10000	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits shall apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short term contract)	**Promotion :** Regional Director (Scientific stream) in the Central Ground Water Board with three years regular service in the revised pay band 4 Rs. 37400-67000 plus grade pay Rs. 8700. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

3722 GI/12-4

(11)

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation (including short term contract) :

Officers under the Central or State Government or Union Territories or Recognised Research Institution / Universities or Public Sector Undertakings or Semi- Government or Statutory or Autonomous organisations:

(a)(i)holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or

(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs.37400-67000 + grade pay Rs. 8900 in Pay band 4 or equivalent in the parent cadre / department or equivalent;

or

(iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs.37400-67000 + grade pay Rs. 8700 in pay band 4 or equivalent in the parent cadre / department or equivalent; and

(b) Possessing the following educational qualifications / experience :—

(i) Master's Degree in Science in the field of Hydrogeology, Geology, Hydrology, Geophysics, Hydrometeorology or Chemistry or a Bachelor's Degree in Civil/Mechanical/Agricultural Engineering / Petroleum Technology; and

(ii) 15 years experience in Survey, Exploration, Development, Ground Water Regime Monitoring , Research, Training, Material Management and Management of Ground Water Resources.

Note: 1. The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note: 2. The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization / department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commisson —Chairman 2. Secretary/Additonal Secretary, Ministry of Water Resources —Member 3. Chairman, Central Ground Water Board —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Member (Engineering)	*1 (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4, ₹ 37400—67000 + Grade Pay ₹ 10000	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short term contract)	**Promotion :** Regional Director (Engineering stream) in the Central Ground Water Board with three years regular service in the revised pay band-4, Rs.37400—67000 plus grade pay Rs.8700. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Union Territories or Recognised Research Institution / Universities or Public Sector Undertakings or Semi- Government or Statutory or Autonomous organisations:

(11)

(a) (i)holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 37400-67000 + grade pay Rs. 8900 in Pay band 4 or equivalent in the parent cadre/department or equivalent;

or

(iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs.37400—67000 + grade pay Rs. 8700 in pay band 4 or equivalent in the parent cadre / department or equivalent; and

(b) Possessing the following educational qualifications / experience: -

(i) Bachelor's Degree in Civil/Mechanical/Agricultural Engineering/ Petroleum Technology; and

(ii) 15 years experience in Survey, Exploration, Development, Ground Water Regime Monitoring , Research, Training, Material Management and Management of Ground Water Resources.

Note: 1. The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note: 2. The period of deputation (including short term contract) including period of deputation(including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization / department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee :—		Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission	—Chairman	
2. Secretary/Additonal Secretary, Ministry of Water Resources	—Member	
3. Chairman, Central Ground Water Board	—Member	

[F. No. 21/02/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.